# अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी )

**पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.**
**वाद संख्या : 138/2013**
**निर्णय दिनांक : 04.10.2023**

1. रोडूराम पुत्र श्री नाथ्या जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा तह0 सांगनेर जिला जयपुर।

.....वादी

**बनाम**

1. कालू पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा
2. नरसी
   जयसिंहपुरा
3. ब्रदी
4. रामस्वरूप

पुत्रान कालू जाति जाट निवासीयान ग्राम बास नेवटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व भू–राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 111, 128 व धारा 151 सीपीसी**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 26 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.89 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 23 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर में वादी 1/4 भाग की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा न करे तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:27:32 IST
Reason: SelfAttested

कारित नही करे, न ऐसा स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट परिवारजन या संस्था से करावें।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.......×.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......×............का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ..............

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ..................

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

| मुदई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:27:32 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 138 / 2013
निर्णय दिनांक :04.10.2023

उनवान

1. रोडूराम पुत्र श्री नाथ्या जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा तह0 सांगनेर जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. कालू पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा
2. नरसी
3. ब्रदी
4. रामस्वरूप

पुत्रान कालू जाति जाट निवासीयान ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व भू-राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 111, 128 व धारा 151 सीपीसी**

## निर्णय

वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खाता संख्या 49 में भूमि खसरा नंबर 23 रकब 0.32 हेक्टयर खसरा नंबर 24 रकबा 0.11 हेक्टयर खसरा नंबर 25 रकबा 0.27 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हेक्टयर वाके ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा पटवार हल्का नेवटा भु.अनि क्षेत्र मुहाना तहसील सागानेर जिला जयपुर में स्थित मे वादी का हिस्सा 1/4 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा कृषि भूमि' खाता संख्या 118 में भूमि खसरा नंबर 26 रकबा 0.18 हेक्टयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.14 हेक्टयर खसरा नंबर 136 रकबा 0.89 हेक्टयर कुल किता कुल रकबा 1.21 हेक्टयर संपूर्ण की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ... आराजीयात में खसरा नंबर 23, 24, 25 के हिस्सा 1/4 जो कि वादी के ... रिकार्ड में दर्ज है जिस पर वादी काबिज काश्त है तथा खसरा नंबर 26 ... जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Si
Date: 2024.02.02 10:27:32 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है उक्त खसरा नंबरान पर प्रतिवादीगण जबरन बाहुबली के आधार पर वादी को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की उक्त भूमि पर आकर भूमाफिया गिरोह से जुडे लोगो को मौका दिखाकर कब्जा करने की धमकी देते हैं तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलदाजी करते हैं । मना करने पर प्रतिवादीगण वादी व उसके परिवार के साथ मारपीट करने की कोशिस करते है जिस बाबत वादी ने पुलिस थाना मुहाना से भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण अपने बेजा हरकतों से बाज नही आते है और एनकेनप्रकरेण वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की कोशिस करते है। दिनांक 15.06.2013 को प्रतिवादीगण अपने साथ 8-- 10 व्यक्ति लेकर वादी की वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आये और वादी की जोती हुई फसल को बर्बाद कर कब्जा करने की कोशिस की जब वादी ने मना किया तो वादी के साथ गाली गलोज कर मारपीट करने की कोशिस की तथा वादी को धमकी दी कि उक्त भूमि की फसल तो तुने बो दी है लेकिन इसकी कटाई हम लोग करने और बहुत जल्द तुम्हे जमीन से बेदखल कर कब्जा करेंगे। इस कारण वादी को श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त वर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल कर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे ना ऐसा स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट परिवारजन दीगर व्यक्ति या संस्था से करावे। वाद कारण दिनांक 15.06.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त की भूमि में आकर वादीगण को जबरन कब्जा करने की धमकि दिये जाने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः बाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जाय कि:-

वाद पत्र की मद नबर में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि संख्या 49 में भूमि खसरा नंबर 23 रकब 0.32 हेक्टयर खसरा नंबर 24 रकबा 0.11 हेक्टयर खसरा नंबर 25 रकबा 0.27 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हेक्टयर वाके ग्राम जयसिंहपुरा बास नेवटा पटवार हल्का नेवटा भु0अ0नि0 क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित में वादी का हिस्सा 1/4 [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा कृषि भूमि खाता संख्या 118 में भूमि खसरा नंबर 26 रकबा [illegible] हेक्टयर खसरा नंबर 27 रकबा 0.14 हेक्टयर खसरा नंबर 136 रकबा [illegible] हेक्टयर [illegible] किता कुल रकबा 1.21 हेक्टयर संपूर्ण की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा न करे तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे न ऐसा स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट परिवारजन या संस्था से करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री ब्रजराज राठौड एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 02.07.2015 को प्रतिवादीगण की ओर से इस आशय का जवाब दावा पेश हुआ कि कृषि भूमि खाता संख्या 118 में भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.89 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर को 30 साल पूर्व प्रार्थी रोडूराम ने अपने सगे भाई कालूराम को जो प्रतिवादी संख्या 1 है को मौखिक रूप से बेचान कर दिया था तब से लगातार प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त करता आ रहा है, जो कि वर्तमान में भी काश्त कर रहा है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 भी मदद कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 4 उक्त खसरा नम्बरान पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी एवं वादी का लडका कानाराम, सोमेन्द्र एवं कानाराम के पुत्र जयसिंह के विरूद्ध ए0सी0पी0 साउथ में शान्ति भंग का परिवाद कर रखा है जिसमें थाना मुहाना थानाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गयी है जिसमें वादी के पुत्र कानाराम व सोमेन्द्र द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि पर कालूराम का कब्जा वर्षो से चला आ रहा है एवं रोडूराम के पुत्र कानाराम व सोमेन्द्र के द्वारा उक्त विवादित जमीन पर काश्त कर रहे प्रतिवादीगण के साथ शान्ति भंग का पूरा–पूरा अंदेशा माना एवं संगीन जमानत मुचलकों पर पाबन्द करने का श्रीमान ए0सी0पी0 साउथ द्वारा आज्ञा फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी को वाद खारिज फरमाया जावें।

दोनों पक्षों के अभिवचन के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।
...वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
...वादी

3. आया वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का बेचान किया है।
...प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4

4. आया प्रतिवादी वादी से वादग्रस्त भूमि का क्रय किये जाने से वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4

5. दादरसी क्या होगी।

वाद–बिन्दू कायम होने के पश्चात् वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 रोडूराम पुत्र नाथ्या, पी.डब्ल्यू. 2 बाबूला पुत्र नानूराम साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये परन्तु साक्ष्य में उपस्थित नही होने से उनके बयान लेखबद्ध नही किये गये न ही दस्तावेजात् पर प्रदर्श अंकित किये गये। दिनाक 13.01.2023 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। दौरान बहस वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादी के वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस वादी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन से पाया कि वाद पत्र का निस्तारण वाद में विरचित तनकीयात अनुसार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या एक व दो एक दूसरे सम्बन्धित है इसलिए दोनों तनकीयात का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है:– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है, इस सम्बन्ध में वादी अधिवक्ता का कहना है वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.89 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 23 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर में वादी 1/4 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में बाधा कारित करते है इसके सन्दर्भ में वादी ने प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2069–2072 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है जिसका वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड से पुष्टि होती है कि वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादीगण की इस सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उनके पक्ष में कोई तथ्य साबित होता हो, जबकि वादी द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि दस्तावेजात से साबित किया गया है जिसे वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधि[illegible] साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा मत है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या एक एवं दो वादी के पक्ष में तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या तीन व चार एक दूसरे सम्बन्धित है इसलिए दोनों तनकीयात का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 13.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है जिससे उनके द्वारा किसी भी तथ्यों की पुष्टि नही की गई है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या तीन व चार प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या पांचः- उपरोक्त विवेचानुसार चूंकि तनकी संख्या एक व दो वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा तनकी संख्या तीन व चार प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 26 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.89 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 23 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर में वादी 1/4 भाग की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा न करे तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे, न ऐसा स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट परिवारजन या संस्था से करावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **04.10.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( महीपाल सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:27:32 IST
Reason: SelfAttested